कार्यालय संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा

श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय से संबंद्ध गांधी स्मारक चिकित्सालय/संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय/ओ.पी.डी. का संपूर्ण भवन एवं परिसर तथा सभी छात्रावासों, टी.वी. वार्ड, आइसोलेशन वार्ड, चिकित्सालय के प्रशासनिक भवनों, नर्सेस छात्रावास एवं चिकित्सालय से लगे अन्य परिसर की सफाई व्यवस्था ।

प्रथम निविदा फार्म एवं शर्ते
वर्ष 2015–2016

कीमत रू. 5000/–
(रूपये पॉच हजार मात्र)

निविदा फार्म का मूल्य रू. 5000.00
निविदा प्रपत्र क्रमांक..........................
रसीद क्र...
दिनांक...

गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा

निविदा प्रपत्र

श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय से संबंद्ध गांधी स्मारक चिकित्सालय/संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय/ओ.पी.डी. का संपूर्ण भवन एवं परिसर तथा सभी छात्रावासों, टी.वी. वार्ड, आइसोलेशन वार्ड, चिकित्सालय के प्रशासनिक भवनों, नर्सेस छात्रावास एवं चिकित्सालय से लगे अन्य परिसर की सफाई व्यवस्था हेतु निविदा वर्ष 2015–2016

कोरे निविदा फार्म प्राप्त करने की अंतिम तिथि एवं समय	05.11.2015 सायं 3 बजे तक
भरी हुई निविदा जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	17.11.2015सायं 3 बजे तक
प्राप्त निविदा खोलने का दिनांक एवं समय	18.11.2015 दोपहर 12:30 बजे
अमानत राि ा रू.	रू.300000.00 (एक लाख) डी.डी
निविदा प्रपत्र भुल्क	रू. 5000.00 (पांच हजार)डी.डी

नियम एवं भार्तें

1. निविदा पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट, हाथों हाथ में से किसी भी एक माध्यम द्वारा प्रस्तुत की जा सकेगी। पोस्टल विलंब के लिये यह कार्यालय जिम्मेदार नही होगा । निविदाये दिनांक 18.11.2015 को अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय रीवा के सभाकक्ष मे दोपहर 12:30 बजे खोली जावेगी , जिसमे निविदाकार अथवा उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकतें हैं।
2. निविदा फार्म चिकित्सा महाविद्यालय की बेबसाइट www.ssmcrewa.com से डाउनलोड भी किये जा सकतें है। निविदा फार्म बेबसाइड से डाउनलोड कर प्राप्त करने की स्थिति में निविदाकार को निविदा फार्म की मूल्य का बैंक ड्राफट जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय रीवा के नाम तथा निधार्रित तिथि 05.11.2015 को 3 बजे के पूर्व का हो को संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक के कार्यालय मे जमा कर रसीद प्राप्त करना होगा, ऐसा नही करने की स्थिति में निविदा स्वीकार नही की जावेगी । निविदा फार्म शुल्क की राशि वापस नही की जावेगी।
3. निविदा के साथ रू. 300000.00 (तीन लाख) मात्र की सुरक्षा राि ा के रूप में किसी भी राश्ट्रीयकृत बैंक का डिमाण्ड ड्राफट. जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय रीवा के नाम हो संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा अमान्य कर दी जावेगी।
4. निविदा प्रपत्र की प्रविश्टियों में उपरिलेखन एवं काट–पीट वर्जित है। निविदाकार का निविदा प्रपत्र एवं उसके साथ संलग्न कागजातों के प्रत्येक पृश्ठ पर अपने हस्ताक्षर करना एवं सील लगाना अनिवार्य होगा ।

5. निविदा प्रपत्र जमा करते समय निम्न उल्लेखित सत्यापित दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य होगा।

1. संस्था की स्थापना के पंजीयन प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति । जिसमे सफाई कार्य का उल्लेख हो ।
2. 100 बेड वाले चिकित्सालय में मशीनो एवं साधारण दोनो प्रकार से सफाई कार्य कराने का 2 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र । अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु जारी कार्य आदेश की छायाप्रति भी संलग्न करे।
3. श्रम आयुक्त, केन्द्रीय अथवा राज्य मे श्रम नियमों के अंतर्गत कराये गये पंजीयनो के प्रमाण पत्र।
4. आयकर के स्थायी लेखा संख्या (पेन कार्ड.) की छायाप्रति।
5. सेवा कर प्रदाता के रूप मे पंजीयन होने का प्रमाण ।
6. मशीनों एवं संयंत्रों की सूची जिससे चिकित्सालय की सफाई करानी है।
7. वित्तीय वर्ष 2012—13,2013—14 एवं 2014—15 के आयकर रिटर्न जमा करने की रसीद।
8. वित्तीय वर्ष 2012—13,2013—14 एवं 2014—15 के सी.ए. द्वारा प्रमाणित बैलेंस सीट की छायाप्रति । केवल प्रमाण पत्र ही लगाया जावे।
9. आई.एस.ओ. प्रमाण पत्र की छायाप्रति ।
10. वित्तीय वर्ष 2014—15 मे जमा किय गये सर्विस टैक्स के चालान की छायाप्रति ।
11. रू. 100 के नान ज्यूडिशियल सटाम्प पर घोषणा पत्र ।

6. बाथरूम की सफाई हर एक घण्टे में होनी चाहिये, वार्ड की सफाई दिन में चार बार तथा रात में दो बार, बरान्डे की सफाई दिन में तीन बार तथा ओपेन ऐरिया की सफाई सप्ताह में तीन बार होना आव यक है।

7. निविदाकार को आई.एस.ओ. प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। जिनके पास आई. एस.ओ. प्रमाण पत्र नही है वे आवेदन करने के पात्र नही होगें।

8. ठेकेदार को ऐसे बडे संस्थानों जहॉ 200 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हो मे मशीनों /साधारण दोनो पद्वति सफाई कार्य कराने का कम से कम 02 वर्ष का अनुभव होना चाहिये। इस हेतु संस्था के प्रमुख द्वारा जारी किया गया, इस आशय का प्रमाण पत्र निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा। साथ ही संबंधित संस्था द्वारा जारी किये गये कार्यादेश की प्रतिलिपि संलग्न करना होगा। कार्य का वार्षिक मूल्य रूपये 30.00 लाख या उससे अधिक होना आवश्यक है।

9. निविदाकर्ता के द्वारा निविदा स्वीकृति के उपरान्त प्रयोग की जाने वाली सफाई मशीनों को अधीक्षक या उनके द्वार प्राधिकृत अधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

10. सफाई कर्मियों को साक्षर होना अनिवार्य होगा तथा सफाई सुपरवाइजरों का 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण होना तथा हिन्दी/अंग्रेजी का ज्ञान होना वांछित होगा। इन कर्मियों का पुलिस सत्यापन कराना आवश्यक होगा। निविदाकार को अपनी तरफ से सफाई कर्मियों को नीले कलर की एवं सुपरवाइजरो को खाखी कलर की स्वच्छ वर्दी दी जावेगी जिसे पहनाना अनिवार्य होगा। इसके लिये संस्था के द्वारा कोई भी राशि पृथक से देय नही होगी। कोई भी सफाईकर्मी/सुपरवाईजर जो कार्य से जुडा हो सजायाफता/जघंन्य अपराध का आरोपी नहीं होना चाहिये ।

11. निविदा मे तकनीकी रूप से योग्य घोषित फर्मो की प्राइस बिड खोली जायेगी, अतः आवेदक निविदाकार अर्नेस्ट मनी, तकनीकी बिड (प्रपत्र **ए**) एवं मूल्य की बिड (प्रपत्र **बी**) अलग–अलग दो लिफाफों में सील बंद करके उन्हें एक बडे लिफाफें **सी** मे रखकर तथा उसे भी सीलबंद कर प्रस्तुत करेगें। **बी** लिफाफा तभी खोला जावेगा जब प्रपत्र ए लिफाफा अर्नेस्ट मनी सहित उपलब्ध होगा।

12. ठेकेदार द्वारा निविदा में घोषित राशि मे ठेके कार्यो कों सम्पादित करने वाले सभी कर्मचारियों के ड्यूटी रोस्टर, लेबर रजिस्ट्रेशन, फ्री टैक्सेज वगैरह सम्मिलित होगें। इसका कोई भी भुगतान अलग से चिकित्सालय द्वारा देय नहीं होगा।

13. निविदा मूल्याकंन के अनुसार ठेका जनहित/चिकित्सालय हित में स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, रीवा को होगा।

14. जिस ठेकेदार के पक्ष मे ठेका स्वीकृत होगा उसके संबंध मे यह माना जावेगा कि उसने उक्त सभी शर्ते अच्छी तरह से पढ ली एवं समझ ली है। वे सभी शर्ते उसे स्वीकार है तथा उन्हीं शर्तो के अंतर्गत उसने ठेका हेतु निविदा प्रस्तुत की है।

15.. निविदा **अनुबंध की अवधि ठेका प्रारंभ होने के दिनांक से 3 वर्ष के लिये होगी । आदेश प्रथमतः 1 वर्ष के लिये जारी किया जावेगा ,कार्य संतोषजनक पाये जाने पर ठेका अवधि मे आगामी एक वर्ष की वृद्वि की जावेगी। वृद्धि के समय लागू कलेक्टर दर देय होगी।**

16. सफाई कार्य के लिये उपयोग मे लाई जाने वाली समस्त सफाई सामग्री जैसे मशीनें, झाडू, पोछां, कपडा, सोप, फिनायल, बैक आउट कैमिकल्स कर्मचारी की सुरक्षा के लिये प्रयोग में आने वाली सामग्री इत्यादि की व्यवस्था ठेकेदार को स्वयं के व्यय पर करनी होगी।

17. ठेका स्वीकृत होने पर ठेकेदार को स्वयं के खर्चे पर रू. 1000/– नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबंध पत्र सात दिन के अन्दर लिखित रूप मे संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, गांधी स्मारक चिकित्सालय, रीवा कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। अनुबंध पत्र मे दोनो पक्षों के हस्ताक्षर होगें।

18.. निविदादाता को निविदा की शर्तो के एवं संलग्न समस्त प्रपत्रों के समस्त पृष्ठों पर नाम एवं हस्ताक्षर कर रबर स्टेम्प लगाना अनिवार्य होगा।

19.. साफ–सफाई कार्य स्थल पर ठेकेदार तथा उसके कर्मचारी शराब अथवा अन्य मादक वस्तुओं का सेवन नहीं करेगे। उनका व्यवहार जनता, विद्यार्थी डाक्टर्स, व कर्मचारियों के प्रति सौम्य एवं नम्रता का होना चाहिये। शिकायत प्राप्त होने पर ठेकेदार के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी जो आर्थिक शस्ति, संबंधित कर्मचारी को कार्य से हटाने विषयक हो सकेगी।

20. ठेकेदार के कर्मियों का व्यवहार सन्तोषप्रद् न होने पर या भर्ती मरीजो व उनके परिजनों के द्वारा शिकायत प्राप्त होने पर अथवा किसी भी प्रकार की शर्तो का उल्लंघन करने पर ठेकेदार के विरूद्ध आर्थिक दण्ड, संबंधित कर्मी को हटाना या गंभीर प्रकरण मे ठेका समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी। इसका पूर्ण अधिकार अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, रीवा को होगा। धरोहर की पूरी अथवा अंशिक राशि जप्त की जा सकेगी।

21. ठेकेदार के द्वारा अपनी ओर से दी गई कोई भी शर्त मान्य नही होगी।

22. निविदा फार्म क्रय शुल्क वापस नही किया जावेगा। निविदा फार्म अहस्तातरणीय है।

23. निविदाकार द्वारा मिनिमम वेजेज एक्ट के प्रावधानों कें अनुसार अपने कर्मचारियों को कलेक्टर रीवा द्वारा घोषित मासिक अकुशल दर से कम का भुगतान नही किया जावेगा। उनका वेतन/मजदूरी सीधे बैंक खाते के माध्यम से भुगतान किया जावेगा एवं वेतन से कटौती प्रतिमाह जमा कराने के लिये निविदाकार उत्तरदायी होगा एवं ई.पी. एफ., ई.एस.आई. एवं सर्विस टैक्स बैंक मे जमाकर चालान की छायाप्रति देयक के साथ प्रस्तुत करने पर ही आगामी देयक का भुगतान किया जावेगा। जिन निविदाकारों की दरें मिनिमम वेजेज एक्ट के अनुसार निर्धारित मासिक अकु ाल दर से कम होगी, उनकी निविदा निरस्त कर दी जावेगी।

24. निविदाकार को देय भुगतान से नियमानुसार स्त्रोत पर आयकर कटौती की जाकर ही भुगतान देय होगा।

25. सफल निविदाकार सफाई का देयक संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक कार्यालय में प्रस्तुत करेंगें जिसकी जांच एवं सत्यापन अधीक्षक कार्यालय द्वारा किया जावेगा । भुगतान हेतु देयक अधिश्ठाता कार्यालय में प्रस्तुत किया जावेगा । भुगतान अधिश्ठाता कार्यालय द्वारा ही निविदाकार को किया जावेगा ।

<u>26. साफ–सफाई का कार्यक्षेत्रः–</u>

1. गांधी स्मारक चिकित्सालय – 54344 वर्गफिट (लगभग)।
2. संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय – 44036 वर्गमीटर (आन्तरिक) एवं बांउड्री बाल के भीतर खुले स्थानों की साफ–सफाई।
3. यू.जी. छात्रावास – 2553.21 स्क्वायर मीटर।
4. पी.जी. छात्रावास – 1630.10 स्क्वायर मीटर।

5 कन्या छात्रावास – 2622 स्क्वायर मीटर।

6 ओ.पी.डी. –41000 वर्गफिट।

7. ओ.पी.डी. संजय गांधी एवं गांधी मेमोरियल हास्पिटल के खाली पड़े प्रांगण की साफ सफाई करना अनिवार्य है।

8. वार्डो की सफाई दिन में तीन वार एवं रात में दो वार तथा बाथरूम व वा ारूम की सफाई हर घंटे में की जानी है।

9. डा. ड्यूटी नर्सेस ड्यूटी रूम एवं नर्सेस ड्यूटी स्टे ान की सफाई मानक अनुसार की जानी चाहिए।

10. वार्डो की टाइल्स दिवार एवं खिड़की दरवाजे पलंग अलमिरा स्टेण्ड इत्यादि की सफाई करनी होगी तथा वार्डो की सफाई नियमित रूप की जावेगी । सफाई मे ज्यादा तर म ीनो का उपयोग किया जाए यह भी निविदाकार को ध्यान में रखना पड़ेगा।

11. सफाई मे लगने वाले सभी समान जैसेः– साबुन पावडर,ड्रेसिंग पावडर, फिनायल,बेकआउट, कैमिकल तथा म ीनो की सफाई संबंधी सामग्री की व्यवस्था निविदाकार को स्वयं करनी होगी तथा इनमे किसी प्रकार से कमी पाए जाने पर निविदाकार जावबदेय होगें इसका अलग से भुगतान देय नही होगा।

12. चिकित्सालय मे लगे हुए डक्ट की सफाई एवं उसका प्रबंधन लोक निर्माण विभाग से सामंजस स्थापित कर निविदाकार को करना होगा।

13. सफाई मे किसी प्रकार की चूंक पाए जाने पर निविदाकार को आर्थिक दंड रूपये 10,000 (दस हजार) तक का जुर्माना करने का अधिकार संयुक्त संचालक अधीक्षक एवं रूपये 50,000 (पचास हजार) तक का जुर्माना करने का अधिकार अधिश्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय रीवा को होगा ं।

14. चिकित्सालय के प्रागंण में नाली तथा सीवेज टनल की सफाई भी समय समय पर निविदाकार को तकनीकी वि ोशज्ञो की राय एवं मांग पर करनी होगी। इसके अतिरिक्त निविदाकार को चिकित्सालय मे संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक द्वारा जहॉ भी उपयुक्त समझा जावेगा वहॉ की सफाई निविदाकार को करानी आवश्यक होगी।

15. ठेकेदार निविदा देने की तिथि के पूर्व किये जाने वाले सफाई कार्य क्षेत्र के स्वरूप का अवलोकन कर सकतें हैं।

16.. सफाई 24 घण्टे रखना ठेकेदार का दायित्व होगा। इस तरह जब और जैसे जहॉ पर भी सफाई की आवश्यकता होगी उन्हे यह कार्य तुरन्त सम्पादित करना होगा।

17. चिकित्सालय प्रबंधन को उपर दर्शायें गये सफाई कार्यो मे महाविद्यालय/चिकित्सालयों की जरूरतों के अनुसार फेरबदल करने का अधिकार होगा। उपरोक्त परिवर्तन के कारण ठेकेदार को कोई अलग से भुगतान नहीं किया जावेगा।

27. सफाई कर्मीः–

1. ठेकेदार को सफाईकर्मी तत्कालिक सफाई कार्यो के लिये निम्नानुसार रखना अनिवार्य होगाः–

1. प्रत्येक शौचालय ब्लाक –1 सफाई कर्मी 7X 24 घण्टे तीन पारी में 7X 24 घण्टे
2. आपरेशन थियेटर –2 सफाई कर्मी 7X 24 घण्टे तीन पारी में 7X 24 घण्टे
3 मरीजों के जनरल वार्ड – प्रत्येक वार्ड मे 1–1 सफाई कर्मी 7X 24 घण्टे
4. दोनों आई.सी.यू (द्वितीय तल, तृतीय तल एवं एस.पी.डब्लू मे – 1–1 स्वीपर 7X 24 घण्टे तीन पारी में 7X 24 घण्टे
5. चिकित्सालय के सामने जो ओपन एरिया, पार्किंग एरिया एवं गार्डेन इत्यादी की सफाई सप्ताह में चार वार करनी होगी।
6. ओ.पी.डी. संपूर्ण भवन, वाथरूम एवं परिसर प्रांगण की साफ–सफाई का पूर्ण उत्तरदायित्व होगा ।
7. निविदाकार को प्रतिदिन 80 कर्मचारी कार्य पर लगाना होगा। भविष्य मे कार्य के अनुसार सफाई कर्मचारियों को कम या अधिक करने का अधिकार अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, श्याम श्याह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा को होगा।
8. ठेकेदार को मजदूरी के भुगतान के संबंध मे म.प्र. शासन के समय समय पर जारी सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
9. ठेकेदार को सभी मजदूरों का किसी भी खतरे के विरूद्ध बीमा आदि स्वयं कराना होगा। किसी भी परिस्थिति में सफाई कार्य करते समय मजदूरों को आने वाली चोट या किसी दुर्घटना आदि के लिये चिकित्सालय प्रशासन द्वारा किसी भी तरह का दावा स्वीकार नहीं किया जावेगा।
10. ठेकेदार के समस्त सफाई कर्मचारियों को निर्धारित स्वच्छ यूनिफार्म मे कार्य पर होना अनिवार्य होगा। सफाई के दौरान दस्ताने, गमबूट, नेमप्लेट, सफाई ट्रॉली मे जिसमे प्रबंधन का नाम अंकित हो कार्य करना अनिवार्य होगा, इस हेतु सफाई कर्मियों को नीले कलर की एवं सुपरवाईजरों को खाकी कलर के स्वच्छ यूनीफार्म पहनना अनिवार्य होगा ं।

28. संतोषप्रद् साफ सफाई के मापदंण्ड निम्नानुसार होगेः–

1. फर्श पर किसी भी प्रकार का दाग व धब्बा न हो तथा बेडों पर भी किसी प्रकार का दाग व धब्बे न हो।
2. वार्डो मे पंलगों के नीचे जाले, गंदगी न हो तथा बैड साईड, लॉकर पर किसी प्रकार की धूल व गन्दगी न हो तथा उसमें कीडे मकोडे इत्यादि न हो।
3. वार्डो तथा अन्य स्थानों पर उपलब्ध उपकरणों पर धूल, गन्दगी, दाग व धब्बे न हो।

4. वार्डो तथा सम्पूर्ण चिकित्सालय भवन के परिसर मे किसी प्रकार की बदबू या दुर्गन्ध न हो।
5. कमरों की छत पर मकडी के जाले न हो, पंखो, रोशनदानों एवं एक्जास्ट फैन मे धूल एवं जाले, पाइप लाइन, ट्यूब लाइट पर धूल या किसी भी प्रकार के धब्बे न हो।
6. सफाई स्थलों की दिवारों पर तथा टाइल्स आदि पर धूल, गंदगी व पान थूक के धब्बे न हो। जहॉ आवश्यक हो वहॉ ठेकेदार डस्टबिन स्वयं के व्यय पर रखेगें एवं इनकी नियमित सफाई सुनिश्चित करेगें।

29.साफ–सफाई का निरीक्षण व भुगतानः–

1. चिकित्सालय/महाविद्यालय के प्रबंधन द्वारा सफाई व्यवस्था सन्तोषजनक नही पाये जाने पर ठेकेदार को पुनः सफाई करानी होगी। विभागाध्यक्षों द्वारा प्रदान की गई रिपोर्ट के आधार पर ही कार्य का मूल्याकंन किया जावेगा एवं उनके कार्यक्षेत्र मे की गई सफाई का सत्यापन करने के पश्चात ही देयक का भुगतान किया जावेगा। कार्य मे कमी पाये जाने पर संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, गांधी स्मारक चिकित्सालय,रीवा द्वारा कार्यो की गुणवत्ता अच्छी न होने पर अर्थदण्ड लगाया जावेगा।
2 निगरानी समिति यदि उपरोक्तानुसार अथवा आवश्यकतानुसार साफ–सफाई से संतुष्ट नही होता है, तो ठेकेदार को समिति की अनुशंसानुसार भुगतान के समय अर्थदण्ड निधार्रित कर देयक से काट लिया जावेगा।
3. यदि किसी कारण वश अथवा कर्मचारियो के कार्य न करने पर पूरे दिन अथवा किसी भी घण्टे मे कार्य नही किया जाता है, तो उस दिन के लिये किये जाने वाले भुगतान की दुगनी राशि अर्थदण्ड के रूप मे कटौती करने का निर्णय संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, गांधी स्मारक चिकित्सालय, रीवा ले सकेगें।
4 मासिक संतोषप्रद रिपोर्ट के आधार पर प्रतिमाह निविदाकार द्वारा प्रस्तुत बिल का भुगतान किया जावेगा। निविदाकार को सफाई कर्मियों का भुगतान राष्ट्रीय कृत बैंक मे खाता के माध्यम से करना अनिवार्य होगा। इसके लिये सभी कर्मचारियो को पंजाब नेशनल बैंक मेडिकल कालेज शाखा रीवा मे खाता खुलवाना अनिवार्य होगा । खाता खुलवाने के सत्यापन हेतु पासबुक की छायाप्रति प्रस्तुत करना होगा ।
5. सफाई कर्मियो को भुगतान, शासन के ई.पी.एफ./ई.एस.आई./सर्विस टैक्स नियमों के पालन करने का पूर्ण दायित्व ठेकेदार का होगा एवं इस पर जमा की गई राशि का छायाप्रति संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, गांधी स्मारक चिकित्सालय, रीवा के माध्यम से जमा करना अनिवार्य होगा।
6. सफाई कर्मियों को कलेक्टर रीवा द्वारा घोषित मासिक अकुशल मजदूरी दर से कम का भुगतान ठेकेदार द्वारा नही किया जावेगा। निविदा स्वीकृत दर से कम राशि के भुगतान की शिकायत आने पर अधिष्ठाता/अधीक्षक द्वारा दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।

30. साफ–सफाई कार्य के लिये आवश्यक मशीनें:–

. ठेकेदार को निम्नलिखित मशीनों द्वारा सफाई करानी होगी, जिनका मापदण्ड निविदा के साथ संलग्न करना होगा। ठेकेदार को मशीनों की समुचित संख्या की व्यवस्था स्वयं करनी होगी, ताकि सफाई कार्य निर्बाध रूप से जारी रह सकें।

स.क्र.	मशीन का नाम	मशीनों की न्यूनतम संख्या
1.	कामर्शियल स्क्रबर ड्रायर	04
2.	सिंगल डिस्क स्क्रबर/पॉलीशर	02
3.	वेट एण्ड ड्राई वैक्यूम क्लीनर	04
4.	ड्राई वैक्यूम क्लीनर	04
5.	हाई प्रेशर वाटर जेट	04
6.	वाड विहाइन्ड स्वीपर	04
7.	ट्राली, रबर के चकों के साथ	08
8.	राईड आन स्क्रब कम डायर	04
9.	झाड़ू पोछा साफ्ट स्क्रबर इत्यादी की व्यवस्था	पर्याप्त मात्रा में करनी होगी।

– ठेकेदार द्वारा उपयोग की जाने वाली मशीनों के लिये पर्याप्त लम्बाई की पॉवर केबिल का कनेक्शन बोर्ड सहित होना आवश्यक है।

– ठेकेदार को उसके कर्मचारीयों हेतु पर्याप्त मात्रा मे हेंड ग्लोब्ज एवं गमबूट, मास्क, सफाई ट्राली तथा सामग्री की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

– ठेकेदार द्वारा प्रांरभ से मशीनों का उपयोग करना अनिवार्य होगा।

– मशीनों के रखरखाब तथा मरम्मत हेतु ठेकेदार पूर्ण रूप से उत्तरदायी रहेगें।

. – ठेकेदार को सफाई के लिये इस्तेमाल की जाने वाली मशीनों एवं सामग्री की

– सुरक्षा एवं रख–रखाब स्वयं करनी होगी। महाविद्यालय/अस्पताल द्वारा इस हेतु एक कमरा निःशुल्क उपलब्ध कराया जावेगा।

31 यह ठेकेदार की मुख्य जबाबदारी होगी, कि इस चिकित्सालय की किसी भी सम्पति को कोई क्षति न पहुचे। क्षति होने की स्थिति मे क्षतिपूर्ति की जबाबदारी ठेकेदार की होगी, जो उसके सुरक्षानिधि या देयक राशि से काट ली जावेगी एवं इस बारे मे चिकित्सालय प्रबंधन समिति का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

32. वार्डो के अतिरिक्त अन्य बाथरूमों आदि मे रखी–स्थापित सामग्री व अन्य सामग्री ठेकेदार के अधिपत्य मे दी जायेगी। उसकी सुरक्षा व रख–रखाब की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।

33. ठेकेदार का व्यवहार संतोषजनक न होने पर या किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर व शर्तो का उल्लघंन करने पर अर्थदण्ड लगाने, सफाई कर्मियों को हटाने, उचित सामग्री की व्यवस्था न करने पर बगैर समय दिये मियाद पूर्व भी ठेका निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, रीवा को होगा। ठेके की धरोहर राशि जब्त करने

पेनाल्टी के स्वरूप का भुगतान की जाने वाले पूर्ण या आंशिक राशि रोकने या राजसात करने का अधिकार अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, रीवा को होगा।

34. ठेका स्वीकृत होने पर ठेकेदार द्वारा नियुक्त कर्मचारीयों का पुलिस से चरित्र सत्यापन कराने की कार्यवाही 45 दिवस के भीतर पूर्ण करनी होगी।

35. ठेकेदार को सफाई का ठेका प्रारम्भ करने के पूर्व समस्त सफाई कर्मियों को हाउस–कींपिग तथा बायोमेडीकल वेस्ट प्रबंधन (स्वयं के व्यय पर) करने का प्रशिक्षण देना अनिवार्य होगा। कार्य आदेश जारी होने के दिनांक से एक सप्ताह के भीतर कार्य प्रारम्भ किया जाना होगा अन्यथा ठेका निरस्त कर दिया जावेगा।

36. ठेके के अधीन आने वाले शौचालयों मे समस्त नलो की टोटियों आदि का ध्यान सफाई कर्मियों को रखना होगा तथा आवश्यकतानुसार खराब टोटियों की स्थिति तथा साथ ही सफाई व्यवस्था क्षेत्र के विद्युत व्यवस्था के खराब पाइन्टों की स्थिति रख–रखाब विभाग को यथासमय सूचित करनी होगी।

37. किसी कारण वश यदि निविदा समाप्ति के समय जब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था नही होती है तब तक निविदाकार को पूर्ववत नियम, शर्तो एवं उसी दर पर निविदा कार्य आगे संचालित करना अनिवार्य होगा।

38. निविदाकर्त्ता द्वारा अगर कोई असत्य जानकारी दी जाती है अथवा बीच मे कार्य बंद किया जाता है तो उसका ठेका निरस्त करने तथा सुरक्षा राशि राजसात करने का पूर्ण अधिकार अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, रीवा को होगा।

39. सफल निविदाकर्ता द्वारा ठेका प्रारंभ करने के पूर्व रखे जाने वाले कर्मचारियों के नाम , पिता का नाम , जन्म तिथि पूर्ण पता फोटो के साथ उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

40. न्यायालय संबंधी समस्त कार्यवाही रीवा न्यायालय के अन्तर्गत ही मान्य होगी।

संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक
गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा म.प्र.

प्रति,

संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक
गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा

विषयः– साफ–सफाई व्यवस्था हेतु निविदा बाबत् ।

–––0–––

महोदय,

दैनिक समाचार पत्र .... दिनांक ....मे प्रकाशन के द्वारा ज्ञात हुआ, कि श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा संबद्ध गांधी स्मारक चिकित्सालय/ संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय/ओ.पी. डी. समस्त भवन तथा सभी छात्रावासों , टी.वी.वार्ड, आइसोलेशन वार्ड, चिकित्सालय के प्रशासनिक भवनों, नर्सेस छात्रावास एवं परिसर की सफाई व्यवस्था हेतु निविदा आमंत्रित की गई है। इस हेतु मेरे द्वारा निविदा से संबंधित प्रपत्र हस्ताक्षर कर आपके कार्यालय में जमा किये जा रहे है। निविदा प्रपत्र के साथ निम्नलिखित अनिवार्य दस्तावेत भी संलग्न हैः–

1. संस्था की स्थापना के पंजीयन प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति ,जिसमे सफाई कार्य का उल्लेख हो ।
2. 200 बेड वाले चिकित्सालय में मशीनो एवं साधारण दोनो प्रकार से सफाई कार्य कराने का 02 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र । अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु जारी कार्य आदेश की छायाप्रति भी संलग्न करे।
3. श्रम आयुक्त, केन्द्रीय अथवा राज्य मे श्रम नियमों के अंतर्गत कराये गये पंजीयनो के प्रमाण पत्र।
4. आयकर के स्थायी लेखा संख्या (पेन कार्ड.) की छायाप्रति।
5. सेवा कर प्रदाता (सर्विस टैक्स) के रूप मे पंजीयन होने का प्रमाण, ।
6. मशीनों एवं संयंत्रों की सूची जिनसे चिकित्सालय की सफाई करानी है।
7. वित्तीय वर्ष 2012–13,2013–14 एवं 2014–15 के आयकर रिटर्न जमा करने की रसीद।
8. वित्तीय वर्ष 2012–13,2013–14 एवं 2014–15 के सी.ए. द्वारा प्रमाणित बैलेंस सीट की छायाप्रति , जिसमे वार्शिक टर्न ओवर 30.00 लाख से कम न हो। केवल प्रमाण पत्र ही लगाया जावे।
9. वित्तीय वर्ष 2014–15 के सर्विस टैक्स जमा करने के चालान की छायाप्रति ।
10. आई.एस.ओ. प्रमाण पत्र की छायाप्रति ।

दिनांक .... हस्ताक्षर ....

स्थान .... पूर्ण पता ....

....

100 रू0 (एक सौ रू.) के नान जूडिसियल स्टाम्प पेपर में प्रस्तुत करें

घोंशणा पत्र (ापथ पत्र)

1. मै/हम भारत के नागरिक हूॅ/है।
2. मै/हम भारतीय संविदा अधिनियम के अनुसार संविदा के लिये सक्षम हूॅ/है।
3. मुझे/हमें चिकित्सालय मे तथा म.प्र. भाासन के किसी विभाग द्वारा बहिश्कृत नही किया गया है हमारी संस्था को किसी भी भाासकीय/अर्द्ध ाासकीय/स्व ाासी संस्था द्वारा काली सूची में नही रखा गया है।
4. मै/हम किसी ऐसे कान्ट्रेक्टर जो कि म.प्र. भाासन के किसी विभाग द्वारा वहिश्कृत किया गया हो न तो अभिकर्ता हूॅ/है और न ही उसके लिये कार्य करता हूॅ/करते हैं।
5. मेरे/हमारे द्वारा निविदा की भार्तो के अलावा अन्य कोई भार्ते प्रस्तुत नही की गयी है। यदि अन्य कोई भार्ते प्रस्तुत की गयी है तो उसे अमान्य किया जाये।
6. मेरे/हमारे द्वारा इस निविदा में भरी मूल्य दर से कम मूल्य दर की निविदा म.प्र. राज्य के किसी संस्था या कार्यालय में प्रस्तुत नही की गई है।
7. मै/हम चिकित्सालय के किसी भी कर्मचारी संबंधित नही है।
8. मेरे/ हमारे/संस्था के उपर राज्य सरकार/केन्द्र सरकार का कोई कर बकाया नही है।
9. हमारी संस्था के विरूद्व सी.बी.आई0/शासकीय कार्यालय इत्यादि में कोई जाचं लंबित नही है। ना ही सक्षम न्यायालय मे आपराधिक प्रकरण दर्ज है और न ही दण्डित किया गया है।
10. मै बाल श्रम कानून /श्रम कानून के प्रावधानों को पूर्णतः पालन करूंगा।`

गवाह के हस्ताक्षर

निविदाकार के हस्ताक्षर

1. गवाह का नाम.................................
   ....व पता...
   ....

संस्था के समक्ष अधिकारी का नाम...
पता..

2. गवाह का नाम................................
   ....व पता ....

संस्था का नाम एवं पता......................
....
फोन एवं मोबा. न.– ....

.

(लिफाफा क्र. ए)

श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय एवं उससे संबंद्ध चिकित्सालय

अर्नेस्टमनी राशि का विवरण दर्ज कर संबंधित मूल दस्तावेज के साथ प्रथम लिफाफे में “ अर्नेस्टमनी दस्तावेज ” उल्लेख करते हुये रखने हेतु

कार्य का नाम – श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध गांधी स्मारक चिकित्सालय/ संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय तथा सभी छात्रावासों, टी.वी.वार्ड, आइसोलेशन वार्ड, चिकित्सालय के प्रशासनिक भवनों, नर्सेस छात्रावास एवं परिसर की सफाई व्यवस्था।

सफाई ठेके हेतु अर्नेस्टमनी से संबंधित डी. डी. का विवरणः–

क्रमांक	डी.डी .का क्रमांक एवं दिनांक	बैंक का नाम	राशि	जारी होने का दिनांक	वैद्यता अवधि

कार्य का नाम – ....

निविदा क्रमांक एवं दिनांक – ....

निविदाकार का नाम – ....

.

हस्ताक्षर/दिनांक – ....

.

(तकनीकी बिड – लिफाफा क्र. ए)

श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबंद्ध चिकित्सालय रीवा

कार्य का नाम – श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय संबंद्ध गांधी स्मारक चिकित्सालय/संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय/ओ.पी.डी. का संपूर्ण भवन तथा परिसर तथा सभी छात्रावासों, टी.वी. वार्ड, आइसोलेशन वार्ड, चिकित्सालय के प्रशासनिक भवनों, नर्सेस छात्रावास एवं चिकित्सालय से लगे अन्य परिसर की सफाई व्यवस्था ।

निविदाकार द्वारा तकनीकी बिड हेतु प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी

निविदाकार का नाम :–

क्रमांक	तकनीकी मापदण्ड हेतु आव यक दस्तावेज	संलग्न पृश्ठ क्रमांक
1.	अर्नेस्टमनी रू. 3,00,000/–(रू. तीन लाख रूपये मात्र) का डी0डी. जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय रीवा के नाम देय हो ।	
2.	संस्था की स्थापना के पंजीयन प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति । जिसमे सफाई कार्य का उल्लेख हो ।	
3	200 बेड वाले चिकित्सालय में मशीनो एवं साधारण दोनो प्रकार से सफाई कार्य कराने का 02 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र । अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु जारी कार्य आदेश की छायाप्रति भी संलग्न करे।	
4.	श्रम आयुक्त, केन्द्रीय अथवा राज्य मे श्रम नियमों के अंतर्गत कराये गये पंजीयनो के प्रमाण पत्र।	
5	आयकर के स्थायी लेखा संख्या (पेन कार्ड.) की छायाप्रति।	
6	मशीनों एवं संयंत्रों की सूची जिनसे चिकित्सालय की सफाई करानी है।	
7.	वित्तीय वर्ष 2012–13,2013–14 एवं 2014–15 के आयकर रिटर्न जमा करने की रसीद।	

8	वित्तीय वर्ष 2012–13,2013–14 एवं 2014–15 के सी.ए. द्वारा प्रमाणित बैलेंस सीट जिसमे रू. 30.00 लाख वार्शिक टर्न ओवर से कम न हो कि छायाप्रति । केवल प्रमाण पत्र ही लगाया जावे।	
9	वित्तीय वर्ष 2014–15 के सर्विस टैक्स जमा करने के चालान की छायाप्रति	
10.	100 रू. के नान जूडिशियल स्टाम्प पर घोषणा पत्र	
11	ई.पी.एफ. पंजीयन की छायाप्रति ।	
12	ई.एस.आई. पजीयन की छायाप्रति ।	
13	आई.एस.ओ. प्रमाण पत्र की छायाप्रति	
14	सेवा कर प्रदाता (सर्विस टैक्स) के रूप मे पंजीयन होने का प्रमाण, ।	
15.	प्राइस बिड	

नोटः–

शर्त– 1. निविदाकर्ता द्वारा अगर कोई असत्य जानकारी दी जाती है तो उसका ठेका निरस्त करने का तथा सुरक्षा राशि राजसात करने का पूर्ण अधिकार अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा को होगा।

2. तकनीकी बिड मे प्रयुक्त समस्त प्रमाण पत्र को तकनीकी बिड के सीरियल न0 के अनुसार संलग्न करे।

निविदाकार का नाम – ....

.

हस्ताक्षर/दिनांक – ....

.

(वित्तीय निविदा – प्राइस बिड) प्रपत्र – बी

श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबंद्ध चिकित्सालय रीवा

कार्य का नाम – श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध गांधी स्मारक चिकित्सालय/ संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय तथा सभी छात्रावासों, टी.वी.वार्ड, आइसोलेशन वार्ड, चिकित्सालय के प्रशासनिक भवनों, नर्सेस छात्रावास एवं परिसर की सफाई व्यवस्था।

निविदा क्रमांक .... दिनांक ....

निविदा प्रपत्र में संलग्न शिड्यूल के अनुसार

<u>साफ–सफाई के कार्य के लिये मासिक दर</u>

क्रमांक	विवरण	राशि	
		अंको में	शब्दों में
1.	निविदा प्रपत्र में संलग्न शिड्यूल के अनुसार साफ–सफाई के कार्य हेतु 80 सफाई कर्मियों की कलेक्टर द्वारा निधार्रित मासिक अकु ाल दर से कम नही		
2..	सफाई सामग्री , झाडू , पोछा, फिनायल ,बैक आउट, ब्लीचिंग पाउडर आदि पर व्यय		
3	संस्था का व्यय		
4.	करो की राशि का उल्लेख अलग –अलग करें। ई.पी.एफ. ई.एस.आई. सर्विस टैक्स		
5.	कुल व्यय		

टीपः–सफाई कर्मियों की दर कलेक्टर रेट से कम (अकुशल दर) भरे जाने पर निविदा निरस्त मानी जावेगी।

निविदाकार का नाम – ....

.

हस्ताक्षर/दिनांक – ....

.